

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0,जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/2277-98

दिनांक:- 2-6-17

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री घीसा लाल	21.06.1957	30.06.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
2	श्री अमर सिंह	14.09.1957	30.09.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) ब्यावर
3	श्री जगदीश प्रसाद मीना	15.09.1957	30.09.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
4	श्री सुरेश चन्द छीपा	03.10.1957	31.10.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) ब्यावर
5	श्री गोविन्द नारायण पारीक	17.10.1957	31.10.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
6	श्री राम कुमार कलवार	01.01.1958	31.12.17	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
7	श्री सन्तोष कुमार जोशी	21.01.1958	31.01.18	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
8	श्री सम्पत सिंह सोलकी	04.02.1958	28.02.18	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कोटडी
9	श्री प्रेम चन्द	15.01.1958	31.01.18	सहायक निदेशक कृषि (वि0) गंगापुरसिटी

उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/2277-98

दिनांक:- 2-6-17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर/भीलवाडा/भरतपुर।
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, टोंक/अजमेर/भीलवाडा/सवाईमाधोपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) मालपुरा/ब्यावर/कोटडी/गंगापुरसिटी
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. निजी पंजिका।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)